विधान परिषद के द्वितीय सत्र-2024 के प्रथम शुक्रवार हेतु निर्धारित श्री ध्रुव कुमार त्रिपाठी , मा0 सदस्य, विधान परिषद द्वारा पूंछे गये तारांकित प्रश्न संख्या-17 का उत्तर।

	प्रश्न	उत्तर
1	17 (क) क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बतायेंगे कि उत्तर प्रदेश में शिक्षा से सम्बन्धित अशासकीय पूर्व माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षण कार्य करने वाले शिक्षकों और कर्मचारियों के वेतन भुगतान हेतु पूर्व से प्रचलित विद्यालयों को अनुदान सूची पर लिये जाने की व्यवस्था संचालित हैं?	जी नहीं।
2	(ख) यदि हॉ, तो वर्ष 2000 के उपरान्त विद्यालयों को अनुदान सूची पर न लिये जाने के कारणों का विवरण सदन की मेंज पर रखेंगे?	वर्ष 2000 के उपरान्त वर्ष 2006 में 1000 जूनियर हाईस्कूलों को अनुदान सूची पर लिया गया था। निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम-2009 के तहत 1 कि0मी/300 छात्रों हेतु प्राथमिक विद्यालय एवं 3 कि0मी0/800 छात्रों हेतु जूनियर हाईस्कूलों को स्थापित किये जाने का प्राविधान है। उक्त प्राविधान के अनुसार पूरे प्रदेश में विद्यालयों की स्थापना की जा चुकी है। सम्प्रति कोई भी क्षेत्र असेवित नहीं है। शासन द्वारा निर्गत नीति दि0 14-07-2020 के क्रम में निजी विद्यालयों को अनुदान सूची पर लिया जाना समीचीन नहीं है।

संदीप सिंह
राज्य मंत्री(स्वतंत्र प्रभार)
बेसिक शिक्षा।